

विद्यालय

श्री एनओ एलओ गीतम
संयुक्त प्रांचिम,
उत्तर प्रदेश शासन !

सेवा में,

सेक्रेटरी
सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन,
2/19 सत बिहार अगारी रोड,
दरियागंज,
नई दिल्ली ।

शिक्षा अनुभाग-17

लखनऊ, दिनांक 25 जुलाई, 1989

विषय:- अनिल सरस्वती विद्या मन्दिर साकेत, लवकुश नगर, फाजिबाद
को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिए जाने के संबंध में ।

महोदय,

मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि अनिल सरस्वती विद्या मन्दिर साकेत
लवकुश नगर फाजिबाद को सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेंडरी एजुकेशन, नई दिल्ली के
सम्बद्धता प्रदान किए जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धनों
का पूर्ण अन्वय प्राप्त नहीं है:-

क। सामान्य प्रतिबन्धन

- 1। विद्यालय की प्रबन्धन समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 2। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिभात स्थान मेधावी और पिछड़े एवं निम्न आय-वर्ग के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे तथा उनके उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद/ बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 3। संस्था को राज्य सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं दिया जायेगा।
- 4। संस्था के सभी अध्यापक/ अध्यापिकाएँ प्रशिक्षित होंगी। संस्था के शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भातों से कम वेतनमान एवं अन्य भातों हीं दिये जायेंगे।
- 5। राज्य सरकार अथवा शिक्षा विभाग द्वारा जो भी आदेश निर्मित किए जायेंगे, उनका पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा।
- 6। विद्यालय में अनुशासन तथा शिक्षा का उत्तर उच्चकोटि का रखा जायेगा।

01/9
Mandir
School
izabad

Principal
Baba Gurukul Academy
Anil Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School, Saket
Lavkush Nagar, Faizabad

विद्यालय की प्रबन्धन समिति रजिस्टर्ड होगी तथा समय-समय पर

नियमानुसार उसका नधीनीकरण भी कराया जायेगा।

- 121 विद्यालय में प्रत्येक कक्षा व अनुभाग के लिए उचित आकार के कक्षा-कक्षा, दो वैकल्पिक विद्यार्थ कक्षा, दो प्रयोगशाला कक्षा तथा चार प्रशासनिक कक्षा की व्यवस्था की जायेगी।
 - 131 कर्मचारियों की सेवा-शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासनीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा नियुक्ति का भार उपलब्ध कराये जायेगा।
 - 141 विद्यालय का कक्षा-सौंठा निर्धारित पुष्पों/पंजिकाओं में रखा जायेगा।
- 2- उक्त शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगी। किसी भी समय उक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त "अनापत्ति प्रमाण पत्र" वापस ले लिया जायेगा।

भातदीय,


रत्नो रसो गीतम ।
संयुक्त सचिव।

संख्या-2135/15-17-09 तदु दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०पु० विा विर कार्यालय, लखनऊ।
- 2- मण्डलीय उच्च शिक्षा निदेशक, फैजाबाद ।
- 3- प्रबन्धक, अनिल सरस्वती विधा भन्दर, ताकेत, लखनऊ नगर, फैजाबाद।
- 4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०पु०, लखनऊ ।
- 5- जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद।

आज्ञा से,



रत्नो रसो गीतम ।
संयुक्त सचिव शिक्षा।